ज्ञापांक–**4325**/Tech./2024

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–04.07.2024

सेवा में,

Vasundhra Homes Pvt. Ltd.
Through its Director Dhanesh kumar Singh,
VASUNDHARA RADIANCE,
Near Argora Chowk, Harmu Road, P.S.- Argora, Ranchi.

विषयः– **मौजा–Argora, प्लॉट नं0–1735 1781 1782, खाता नं0–34, वार्ड नं0–00, थाना–Argora, जिला–राँची में निर्मित बहुमंजिली भवन हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।**

आपके द्वारा ऑनलाईन समर्पित प्रस्ताव के आलोक में निर्मित बहुमंजिली भवन के स्थल की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची से निर्मित स्थल का भौतिक जाँच कराई गई। उनके द्वारा अपने ज्ञापांक–323, दिनांक–03.07.2024 के माध्यम से समर्पित जॉच प्रतिवेदन एवं आपके द्वारा समर्पित प्रस्ताव की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय, राँची का पत्रांक–120, दिनांक–15.02.2016 के माध्यम से निर्मित बहुमंजिली भवन के लिए अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह निर्गत किया गया है।

फलस्वरूप इस प्रस्ताव को वापस करते हुए सुझाव है कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय से पूर्व में निर्गत सुझावों का अनुपालन यदि करा लिया गया हो तो BPAMS के माध्यम से NOC for Completion अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव भेजा जाय। इस प्रस्ताव के साथ सेल्फ अप्रेजल चेकलिस्ट, नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत शपथ पत्र, पूर्व में निर्गत किया अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह की प्रति एवं नगर निगम से पारित भवन प्लान इत्यादि अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाय।

संबंधित निर्मित बहुमंजिली भवन में कभी भी किसी भी प्रकार का विवादित मामला होने पर संबंधित भवन को दिये गये अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह को जाँचोपरान्त कभी भी रद्द किया जा सकता है।

JITENDRA
TIWARY

Digitally signed by JITENDRA TIWARY
DN: c=IN, o=PERSONAL, title=9053,
2.5.4.20=894e76e7a55211af8cedc5c01fc9008f3f4b20579f87b90a96d6b7a5458ea0b0, postalCode=834004, st=JHARKHAND,
serialNumber=c2ef3f40dd8c08af2be3efeb12fbb7360caeb368d01281729c3d8961d7e6d816, cn=JITENDRA TIWARY
Date: 2024.07.04 21:44:05 +05'30'

(जितेन्द्र तिवारी)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदा
झारखण्ड, राँची।

For VASUNDHRA HOMES PVT. LTD.

General Manager

पत्रांक 120 /

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड राँची।

प्रेषक,

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

नगर निवेशक,
राँची नगर निगम,
राँची।

राँची, दिनांक 15/02/16 /

प्रसंग :– **आपका पत्रांक–7316 दिनांक–02.01.2016**

बिषय :– श्री सतीश कुमार एवं अन्य अशोक नगर रोड, अरगोड़ा, राँची के खाता सं0–34, 231, आर0एस0प्लॉट सं0–1735, 1781, 1782, थाना सं0–207, अरगोड़ा, राँची, भवन प्लान सं0– BP02/2014/930(933/2014/A) में प्रस्तावित भवन निर्माण में अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।

महाशय,

प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न किये गये प्लान के अनुसार निर्मित होनेवाले अग्नि सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं :–

1. प्लान में दर्शाये गये संकेत चिन्हों के अनुरूप अग्नि–सुरक्षात्मक व्यवस्था की जाय।
2. साईट प्लान में अंकित किये गये क्षमता के अतिरिक्त प्रस्तावित ब्लॉक सी0 के सामने वाले भाग में कम से कम 1,00,000 ली0 क्षमता का एक अदद अण्डरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण उपयुक्त स्थान पर कराया जाय।
3. प्रस्तावित भवन के ब्लॉक सी0 के उपर 20,000 / ली0 क्षमता का ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण अग्निशमन कार्य हेतु कराया जाय।
4. प्रस्तावित भवन में संस्थापित होनेवाले सभी तलों के Sprinkler Head एवं Hydrants Outlet के Discharge का Calculation कर तदनुसार बेस पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
5. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित पम्पिंग की भी व्यवस्था की जाय।
6. प्रस्तावित भवन के ब्लॉक सी0 के उपर 900 ली0 / मि0 क्षमता का एक अदद टेरेस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
7. प्रस्तावित भवन में एक अदद फायर लिफ्ट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसकी क्षमता 540 के0जी0 से कम न हो।
8. सीढ़ीयों को Enclose staircase के रूप में निर्मित किये जायें।
9. भवन के पाँचवे एवं दसवें तल पर स्टेयरकेस लॉबी को Refuge area के रूप में निर्मित किये जायें।
10. प्रस्तावित भवन की विद्युत व्यवस्था किसी Licensed Electrician से ही कराये जायें।
11. भवन के सामने वाले भाग में 12 मीटर चौड़ी, ठोस एवं खुली जगह अग्निशमन एवं बचाव कार्य हेतु हमेशा उपलब्ध रखी जाय।

(कृ0प0उ0.)

For VASUNDHRA HOMES PVT. LTD.

General Manager

12. भवन के सभी बालकोनी को ग्रील लगाकर पूर्णतः अवरूद्ध नहीं किया जाय।
13. भवन में प्रति 400 वर्ग फीट के लिए एक की दर से 06 के0जी0 क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
14. बेसमेंट से जल निकासी की समुचित व्यवस्था रखी जाय।
15. बेसमेंट में Transformer, Boiler, Pressurized Cylinder, Generator, A.C जैसे Positive Pressure वाले उपकरण न रखे जायें।
16. भवन में बेसमेंट वाले भाग में समुचित Ventilation की व्यवस्था रखी जाय ताकि प्रति घंटा कम से कम 12 से 15 एयर चेंज होता रह सके एवं आपात स्थिति में इसे 30 एयर चेंज तक बढ़ाया जा सके।
17. लिफ्ट में ऐसी व्यवस्था रखी जाय कि उपरी तलों से लिफ्ट से आने पर सतही तल पर रूकने के बाद हीं बेसमेंट में जा सके।
18. सुरक्षा संबंधी शेष अनुदेश जो इस कार्यालय के पत्रांक–33, दिनांक–13.04.06 के द्वारा ब्लॉक ए0 एवं ब्लॉक बी0 के लिये निर्गत किये गये हैं उसे लागू रखे जायें।
19. प्रस्तावित भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न न हो।
20. भवन में तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
21. प्रस्तावित भवन में किसी भी प्रकार के पेट्रोलियम उत्पाद अथवा बिस्फोटक सामग्री के दुकान की अनुमति नहीं दी जायेगी।
22. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान (Hard and Soft copy) में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेगें साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने से पहले एक शपथ पत्र समर्पित करेगें कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा दिये गये सुझावों का अक्षरशः अनुपालन कर लिया गया है।
23. अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जॉच इस विभाग से कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जायेगें।
24. प्रस्तावित भवन निर्माण के किसी भी भाग में यदि बाद में Plan या Nature of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करें।
25. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 एवं 6.6 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन करें।
26. प्लान की प्रतियॉ सुझाव के साथ हस्ताक्षर कर वापस किये जा रहे हैं।

<u>अनुलग्नक</u> :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(signature) 15.02.16

(राम कृष्ण ठाकुर)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,

झारखण्ड, राँची।

For VASUNDHRA HOMES PVT. LTD.

(signature)

General Manager